

पत्रांक :-3/यो01-05/2024(उ0 शि0) 79/905/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 04/07/2025

विषय:- राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खूँटी जिले में महिला महाविद्यालय, खूँटी के निर्माण कार्य हेतु रु0 57,95,43,000/- (संतावन करोड़ पंचानवे लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढसंकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। विभागीय आदेश संख्या 1956 दिनांक 07.09.2016 के द्वारा महिला महाविद्यालय, खूँटी के स्थापना एवं निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है।

2. उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक 371/रा0 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा खूँटी जिलान्तर्गत अंचल- खूँटी, मौजा- खूँटी टोली, थाना नं0-80, खाता नं0-73, प्लॉट -18, रकबा-5.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म- परती कदीम भूमि को महिला महाविद्यालय, खूँटी के निर्माण हेतु विभाग को निः शुल्क हस्तांतरित किया गया है।

3. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 114(नि0) दिनांक 10.01.2024 के द्वारा Estimate No.- 480/T.A/H.E/JSBCCL/2023-24, Page- 219 dated 19.12.2023 से राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खूँटी जिले में महिला महाविद्यालय, खूँटी के निर्माण कार्य हेतु रु0 57,95,43,000/- (संतावन करोड़ पंचानवे लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र (GST-18%, Labour cess- 1% & JSBCCL Charge सहित) के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर संशोधित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

5. अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार राज्य के सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खूँटी जिले में महिला महाविद्यालय, खूँटी के निर्माण कार्य हेतु रु0 57,95,43,000/- (संतावन करोड़ पंचानवे लाख तेतालीस हजार रुपये) मात्र (GST-18%, Labour cess- 1% & JSBCCL Charge सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खूँटी जिले में महिला महाविद्यालय, खूँटी के निर्माण कार्य का क्रियान्वयन PWD Code के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा।

7. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा किया जायेगा, जो समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराते हुये प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेगे। निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय-समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

8. उक्त विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात् एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खूँटी जिले में महिला महाविद्यालय, खूँटी के निर्माण कार्य हेतु विभागीय बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्नवत् होगा—

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1	2025—26	10,00,00,000 /—	15 प्रतिशत
2	2026—27	30,00,00,000 /—	40 प्रतिशत
3	2027—28	17,95,43,000 /—	45 प्रतिशत

9. उपरोक्त स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष—"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" (विपत्र कोड-21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेगे।

11. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा उक्त कार्य का क्रियान्वयन PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा। Furniture एवं Equipments के Specification का निर्धारण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा विश्वविद्यालय की सहमति से नियमानुसार किया जायेगा।

13. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के दिनांक 07.10.2024 को सम्पन्न बैठक के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0यो0प्रा0- 323/2024 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा निम्नवत् सशर्त अनुशंसा प्रदान किया गया है :-

(क) प्रस्तावित योजना हेतु कार्यस्थल के अनुरूप कार्यकारी प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाय।

(ख) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण से संबंधित सभी अवयवों को प्राक्कलन में शामिल कर लिया गया है, इसकी सम्यक जाँच कर पुनः सम्पुष्टि कर ली जाय ताकि भविष्य में पुनरीक्षण की स्थिति न हो।

14. राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 540(नि0) दिनांक 24.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण से संबंधित सभी अवयवों को प्राक्कलन में शामिल कर लिया गया है एवं इसकी सम्यक जाँच कर सम्पुष्टि कर ली गयी है। DPR स्थालीय स्थिति के अनुसार तैयार किया गया है एवं इसके कार्य मदों में विचलन की सम्भावना नहीं है, बशर्तें योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थल परिवर्तन न हो अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्य मदों में परिवर्तन हेतु निदेश प्राप्त न हो"।

15. उक्त विषयांकित योजना पर दिनांक 20.06.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या- 01 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है।

16. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

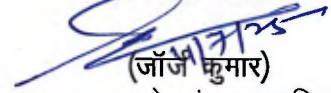
18. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

21. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

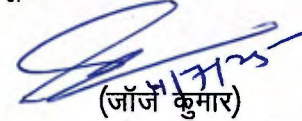
विश्वासभाजन,


(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-05/2024(उ0शि0) 79/885 /राँची, दिनांक- 04/07/2025

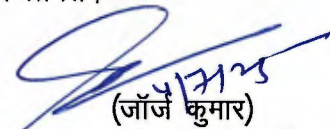
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/यो01-05/2024(उ0शि0) 79/885 /राँची, दिनांक- 04/07/2025

प्रतिलिपि -माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/उपनिदेशक, उच्च शिक्षा/विशेष कार्य पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

